न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/2020 (2020/00040) दर्ज दिनांक 07.02.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बालु दत्तक पुत्र उदा तेली निवासी झुमपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल आत्मज लेहरू तेली
2. देवीलाल आत्मज मांगु नायक
3. शांतिलाल आत्मज मांगु नायक
4. प्रभुलाल आत्मज मांगु नायक
5. जमनी बेवा मांगु नायक
6. रतन आत्मज मांगु नायक

   सर्व निवासी झुमपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

7. टमु पुत्री मांगु पत्नि बालु नायक निवासी झुमपुरा हाल निवासी उण्डिया तालाब की चढ़ाई, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्रीमती सज्जन बैरवा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–07.09.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा की बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 981/1 रकबा 0.04 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 376 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:38 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थी पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

1.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जो काश्त की आराजियात संख्या 981/1 रकबा 0.04 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 376 पर स्थित हैं। भूमियों का बरामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जो काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढ़ी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढ़ी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner